निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 श्रावण 1947 (श0)

(सं0 पटना 1370) पटना, बुधवार, 13 अगस्त 2025

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

3 जुलाई 2025

सं० ***1स्था०-31/2025-1634 वि०स०***—बिहार विधान सभा (भरती और सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2018 के नियम–14 के अधीन अध्यक्ष, बिहार विधान सभा, सभा सचिवालय में **समूह–ख** के अंतर्गत **अवधायक संवर्ग के अवधायक के पद पर** प्रोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा के पाठ्यक्रम एवं विषय आदि के विनियम के संबंध में निम्नलिखित आदेश विनिर्दिष्ट करते हैं :–

बिहार विधान सभा सचिवालय (विभागीय परीक्षा की पद्धतियाँ) आदेश, 2025

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - यह आदेश बिहार विधान सभा सचिवालय (विभागीय परीक्षा की पद्धतियाँ) आदेश, 2025 कहा जा सकेगा ।

2. यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

3. बिहार विधान सभा सचिवालय में समूह 'ख' के अंतर्गत अवधायक संवर्ग के अवधायक के पद पर प्रोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं विषय वहीं होगी जो नीचे वर्णित है :-

प्रथम पत्र - हिन्दी लिखित ।

द्वितीय पत्र - कम्प्यूटर की व्यवहारिक जानकारी ।

तृतीय पत्र - अवधायक से संबंधित कार्यों के संबंध में विशेष प्रश्न ।

प्रत्येक पत्र का पूर्णांक 100 (एक सौ) अंकों का होगा तथा उत्तीर्णांक 40 (चालीस) अंकों का होगा । परंतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति उम्मीदवार के लिए उत्तीर्णांक 30 अंकों का होगा । उपर्युक्त विषय की परीक्षा का प्रश्न कोष वस्तुनिष्ठ (Objective) रूप में होगा ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1370-571+25-डी0टी0पी0
Website: : https://egazette.bihar.gov.in